

## सूचना

महाविद्यालय के समस्त छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय निर्धन सहायता कोष के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थी अपना आवेदन फार्म दिनांक 31.03.2025 तक प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 11.00 से 01.00 बजे तक निम्नलिखित प्राध्यापकों के पास जमा करें-

1. डॉ० लक्ष्मी देवी / डॉ० दीप शिखा कार्तिक- (बी०ए० / एम०ए०)
2. डॉ० राजश्री सक्सेना- (बी०काम० / एम०काम०)
3. डॉ० राजेश कुमार सोनकर- (बी०एस०सी०)

निर्धन छात्र कोष सहायता हेतु पात्र विद्यार्थी-

1. परिवार की आय रु० 1 लाख (वार्षिक) से कम होनी चाहिए।
2. केन्द्र सरकार / राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन न करने वाले विद्यार्थी ही पात्र होंगे।
3. विगत वर्ष (अन्तिम 2 सेमेस्टर) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त छात्र ही पात्र होंगे।
4. आवेदन फार्म महाविद्यालय की वेबसाइट <https://faagpgc.com> से प्राप्त करें।

नोट-आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र-

1. आधार कार्ड।
2. बैंक खाता सं० की छायाप्रति।
3. आय प्रमाणपत्र।
4. प्रवेश रसीद।
5. विगत सत्र के अंकपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

प्रभारी निर्धन छात्र सहायता कोष

प्राचार्य

Principal  
F.A.A Govt.P.G. College  
Mahmudabad (Sitapur)

# फ0अ0अ0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महमूदाबाद सीतापुर।

## महाविद्यालय निर्धन छात्र सहायता हेतु आवेदन पत्र

सत्र-2024-25

1. विद्यार्थी का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. माता का नाम.....
4. जन्म तिथि.....
5. वर्तमान कक्षा तथा वर्ष.....
6. शैक्षिक विवरण-

सम्बन्धित  
प्रभारी द्वारा  
प्रमाणित फोटो

कं0सं0	कक्षा	सेमेस्टर	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
01	इण्टर					
02	स्नातक	I Sem				
		II Sem				
		III Sem				
		IV Sem				
		V Sem				
		VI Sem				
03	स्नातकोत्तर	I Sem				
		II Sem				
		III Sem				
		IV Sem				

7. मोबाइल नं0..... आधार नं0.....
8. वर्तमान पता.....
9. आय प्रमाण पत्र सं0..... दिनांक..... वार्षिक आय.....

### 10. बैंक खाते का विवरण-

बैंक का नाम..... ब्रान्च का नाम.....  
खाता सं0..... IFSC CODE.....

### घोषणा

मैं..... शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि आवेदन फार्म में दी गई समस्त सूचनाएं सत्य हैं। कोई भी सूचना असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाये। सहायता राशि प्राप्त होने के बाद यदि सूचना असत्य पायी जाती है या केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो मैं पूर्ण राशि महाविद्यालय के निर्धन सहायता कोष के खाते में जमा करूँगा/करूँगी।

दिनांक-

पिता के हस्ताक्षर-

छात्र के हस्ताक्षर-

नोट-समस्त अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।